

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2004

क्र. 2491-तेरह-2004.—इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को दिनांक 1 जून 2004 से स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी के रूप में अधिसूचित करती है।

No. 2491-XIII-2004.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 39 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government hereby notifies the Madhya Pradesh Power Transmission Corporation Limited as the State Transmission Utility, with effect from 1 June 2004.